(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामिल में जारी हुए
12-12.22	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित है। उपरोक्त राजस्व अपील उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 16/2016 अनवान श्रीमती सुखडी देवी बनाम लाबूराम वगैराह मे दिनांक 26.04.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा दिनांक 10.05.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या एलआर/2803/2017/जोधपुर अनवान सुखडी देवी बनाम लाबूराम पेश की गई थी। उक्त निगरानी प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जाकर दिनांक 25.07.2017 को निर्णय पारित किया गया। जिसके जरिये माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 16.06.2017 को प्रकरण के साथ तहसीलदार, बिलाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि तहसीलदार बिलाडा उक्त राजीनामा की पूर्ण रूप से जॉच करते हुए एवं राजस्व रेकार्ड का परीक्षण कर उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करें। जिसके कम में तहसीलदार, बिलाडा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्देशों की पालना करते हुए उभय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात दिनांक 21.08.2017 को आदेश पारित किया जा चुका है। अपीलान्ट के द्वारा तहसीलदार, बिलाडा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.08.2017 के विरूद्ध एक अन्य अपील संख्या 611/2017 अनवान मैनादेवी बनाम सुखडीदेवी वगैराह प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसका निस्तारण पृथक से किया जा रहा है। ऐसे में हस्तगत विचाराधीन अपील की निगरानी पर चूंकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अन्तिम निर्णय पारित कर दिया गया है अतः इस न्यायालय स्तर पर कोई पृथक से निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः हस्तगत अपील निष्प्रभावी (Infructuous) हो	

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

आयुक्त

तारीख हुक्म	हूक्म या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
12.12.22	चुकी है। उक्त विवेचन/विश्लेषण के मध्यनजर उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निस्तारण नम्बर से कम की जावें। (ओ0पी0बिश्नोई) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर	